बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::सकारण आदेश::

पटना, दिनांक 13/08/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–486/2025–2395/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18240/2025 रमण कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–17.11.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–18240/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–17.11.2025 को पारित आदेश की कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

".... Considering the limited nature of prayer being made by learned counsel for the petitioner, the present writ application stands disposed of for granting liberty to the petitioner to file a detailed representation before the Additional Chief Secretary, Department of Education, Government of Bihar, Patna (respondent no. 2) within one month from the date of passing of this order. If such a representation is filed within the stipulated time then respondent no. 2 i.e., the Additional Chief Secretary, Department of Education, Government of Bihar, Patna shall decide the same within a period of six months thereafter after giving an opportunity of hearing to the petitioner. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by respondent no. 2 i.e., the Additional Chief Secretary, Department of Education, Government of Bihar, Patna should be a well reasoned and speaking order....."

3. उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए दिनांक–09.02.2026, दिनांक 20.02.2026 एवं दिनांक 20.03.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई निर्धारित की गयी। जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. याचिकाकर्ता का कथन है कि– "उन्हें फरवरी 2006 से जून 2006 के बीच मिलने वाला एक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिया गया है।" साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं0–10/02/2011–E-iii/A, दिनांक–19.03.2012 के आलोक में झारखंड सरकार के संकल्प 1185 दिनांक 02.06.2012 निर्गत किया जा चुका है, जिसमें केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को छठे केन्द्रीय वेतनमान में माह फरवरी से माह जून, 2006 के बीच देय वार्षिक वेतन वृद्धि वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि स्वीकृत किया गया है।

5. वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0 10/2/2011–ई.111/ए दिनांक 19–03–2012 में अंकित है कि :–

(i) केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली (संशोधित वेतन) –2008 के नियम 10 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की एक समान तारीख होगी। अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई होगी। 01 जुलाई को संशोधित वेतन संरचना में 6 माह अथवा इससे अधिक की अवधि पूरी करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के पश्चात् जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2006 से 01 जुलाई, 2007 के बीच थे उन्हें संशोधित वेतन संरचना से दिनांक–01.01.2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात् पहली वेतन वृद्धि दिनांक–01.07.2006 को प्रदान की जाएगी।

(ii) कर्मचारियों द्वारा अनुरोध किया गया है कि जिन कर्मचारियों को वर्ष 2006 में फरवरी से जून के बीच अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होनी थी उन्हें पूर्व संशोधित वेतनमान में दिनांक–01.01.2006 को वेतन वृद्धि प्रदान की जाय।

(iii) इस मामले पर और विचार करने के पश्चात् तथा केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2009 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सहर्ष निर्णय लिया है कि इस नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत शर्त में छूट देते हुए केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें वर्ष 2006 में फरवरी से जून के बीच अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होनी थी, उन्हें एकबारीय उपाय के तौर पर पूर्व संशोधित वेतनमान में 01.01.2006 को एक वेतन वृद्धि प्रदान की जाए और तत्पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली (संशोधित वेतन), 2008 के नियम 10 के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक–01.07.2006 को मिलेगी। पात्र कर्मचारियों का वेतन तद्नुसार पुनः निर्धारित किया जाए।

6. उक्त मामले में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–18240/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–17.11.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के आलोक में वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त मंतव्य में अंकित है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक सं0–10/02/2011–E–iii/A दिनांक–19.03.2012 के द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में गठित राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरांत निर्गत वित्त विभागीय संकल्प सं0–5978 दिनांक–25.08.2017 का उल्लेख किया गया है जिसमें अंकित है कि "राज्य वेतन आयोग में उक्त मामले के संदर्भ में – "This commission, to, feels that old matter's be not reopened unless they be the cause of extreme hardship. That being be not the case, and also because accepting the said amendment would be a difficult exercise in terms of administrative eddort, this commission recommends that the said amendment not be given effect to with respect to State employees "

7. वित्त विभागीय संकल्प सं0 5978 दिनांक 25.08.2017 के कंडिका–04 में सातवे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि माह फरवरी से जून 2006 के

बीच देय वार्षिक वेतन वृद्धि वाले राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एकबारीय एक वेतन वृद्धि के लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वित विभागीय संकल्प सं0–5978 दिनांक–25.08.2017 के आलोक में याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/07/2026

21/7/26

(राजीव रौशन)
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–486 / 2025..2395... पटना, दिनांक ...13/09/26.....

प्रतिलिपिः– 1 Raman Kumar S/o Late Ram Naryan Singh, R/o Arpna Illam, Lohiyanagar,P.O. and P.S.- Katihar, District- Katihar. At present residing at House No.-4/165, Rana Enclave, Arpana Illam, Rithala, Rohini, North West Delhi, को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/7/26

सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–486 / 2025...2395.... पटना, दिनांक ...13/09/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/7/26

सचिव,
शिक्षा विभाग।